

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिलिया इस्लामिया

December 24, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

**प्रो. इकबाल हुसैन बने जामिया के संपदा अधिकारी, भारत सरकार ने जारी की  
अधिसूचना**

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रोफेसर इकबाल हुसैन, डीन, विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) को विश्वविद्यालय के संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। वह सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

संपदा अधिकारी के तौर पर प्रोफेसर इकबाल उपरोक्त अधिनियम के तहत बेदखली और हर्जाने की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। गवाहों को समन जारी करना; नोटिस की सेवा; कार्यवाही करना; इन कार्यवाहियों से संबंधित आदेश पारित करना और अन्य कार्य उनका अधिकार क्षेत्र होगा। वह संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में दायर अपीलों को भी देखेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे।

उनके डीनशिप के तहत जामिया के विधि संकाय को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) इंडिया रैंकिंग 2021 द्वारा कानून श्रेणी में 7वां स्थान प्रदान किया गया था जबकि NIRF-2020 में संकाय को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिलिया इस्लामिया